

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
फोन नं०-0135-2608105, फ़ैक्स नं०-0135-2608108

संख्या 843/अधि०/दो-51/2015

दिनांक 21 अप्रैल, 2015

कार्यालयादेश


परिवहन आयुक्त संगठन के परिवहन कर अधिकारी-2 संवर्ग के निम्नलिखित कार्मिकों को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-294/ix-1/18/2015 दिनांक 26-03-2015 के क्रम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवहन कर अधिकारी-1 (वेतनमान रू० 9300-34,800, ग्रेड पे रू० 4600) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क०सं०	नाम सर्वश्री
1	ज्योति शंकर मिश्र
2	विपिन कुमार सिंह
3	नवीन कुमार सिंह-2
4	निखिलेश कुमार ओझा
5	अशीत कुमार झा
6	पंकज श्रीवास्तव
7	रत्नाकर सिंह

2- उक्त पदोन्नति विशेष याचिका संख्या-28/2015 प्रकाश चन्द्र पाण्डे बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

3- उक्त परिवहन कर अधिकारी-1 कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे।

4- उक्त परिवहन कर अधिकारी-1 के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।



(एस० रामास्वामी)
परिवहन आयुक्त।

संख्या 843 (1)/अधि०/दो-51/2015 समदिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।

- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या-512/12/डी0पी0सी0/ई-1/2011-12 दिनांक 17-03-2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ।
- 5- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी।
- 7- सम्बन्धित परिवहन कर अधिकारी-1
- 8- व्यक्तिगत पत्रावली।
- 9- गार्ड फाइल।


(एस0 रामास्वामी)
परिवहन आयुक्त।